

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.**Land Ceiling Appeal No.- 22/2022****Mukti Prasad Bhagat Appellant.****Versus****The State of Bihar & Anr Respondents.**

| Serial No. | Date of order of proceeding. | Order with signature of the court. | Office action taken with date |
|------------|------------------------------|--|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 31.08.2023 | <p style="text-align: center;"><u>आदेश</u></p> <p>प्रस्तुत वाद न्यायालय, समाहर्ता, कटिहार द्वारा भू-हदबंदी वाद सं०-510/2017-18 में दिनांक-01.10.2021 को पारित आदेश के विरुद्ध Chapter XII U/s 30 of Bihar Ceiling Act के अंतर्गत दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु पृथक आवेदन दाखिल है।</p> <p>उभय पक्ष अनुपस्थित। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि उभय पक्ष दिनांक-02.01.2023 से लगातार अनुपस्थित चले आ रहे हैं। उभय पक्षों के लगातार अनुपस्थिति से स्पष्ट है कि उन्हें वाद के निष्पादन में कोई अभिरुचि नहीं रह गई है। वाद को अनावश्यक लंबित रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।</p> <p>अतः उपर्युक्त के आलोक में उभय पक्षों के लगातार अनुपस्थिति एवं अभिरुचि के आभाव में प्रस्तुत वाद को "प्रमाद में खारिज" (Dismissed for Default) किया जाता है। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय मूल अभिलेख वापस भेजें। लेखापित एवं शुद्धित।</p> <p>आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।</p> <p style="text-align: right;">आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।</p> | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

Web Copy. Not Official.